



संगिपुर: भारत का शीर्ष FDI स्रोत

चर्चा में क्यों?

पछिले वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019) के दौरान संगिपुर (Singapore) से होने वाला वदिशी प्रत्यक्ष नविश (Foreign direct investment-FDI) मॉरीशस (Mauritius) की तुलना में दोगुना रहा। दोनों देशों के बीच कर संधि को पुनः लागू करने के बाद वदिशी प्रवाह के लिये यह अभी तक का सबसे पसंदीदा मार्ग रहा।

- देश में प्रत्यक्ष वदिशी नविश पछिले छह सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है। भारत में नविश करने वाले अन्य प्रमुख देशों में जापान, नीदरलैंड, ब्रिटन, अमेरिका, जर्मनी, साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस शामिल हैं।
- वर्ष 2018-19 में मॉरीशस के 8.1 अरब डॉलर के मुकाबले संगिपुर से अनुमानतः 16.2 बिलियन डॉलर के FDI का प्रवाह हुआ। यह केवल तीसरी बार है कि संगिपुर से होने वाले नविश प्रवाह में मॉरीशस की तुलना में इतना अधिक उछाल आया है, इस संबंध में नविश सलाहकारों द्वारा कर संधि में बदलाव के कारण टैक्स ट्रीटमेंट (Tax Treatment) में आई अनुरूपता को मुख्य कारक बताया जा रहा है।
- इसके अलावा, संगिपुर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) के मोर्चे पर बहुत-से अन्य लाभ भी उपलब्ध करा रहा है जैसे- वदिशी स्रोतों से प्राप्त पूंजीगत लाभ पर शून्य कर (zero tax), आदि। संभवतः FDI के प्रवाह में आए बदलाव का एक कारण यह भी है।

दोहरा कराधान क्या है?

- दोहरे कराधान (Double Taxation) का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें एक ही कंपनी या व्यक्ति (करदाता) की एकल आय एक से अधिक देशों में कर योग्य हो जाती है। ऐसी स्थिति विभिन्न देशों में आय पर कराधान के भिन्न नयियों के कारण उत्पन्न होती है।

दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (DTAA)

- दोहरे कराधान से मुक्ति के लिये दो देशों की सरकारें 'दोहरा कराधान अपवंचन समझौता' (Double Taxation Avoidance Agreement- DTAA) नविषादति करती हैं जिसका उपयोग परस्पर दोहरे कराधान की समस्या से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है।
- भारत में आयकर अधिनियम की धारा 90 द्विपक्षीय राहत से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत की केंद्रीय सरकार ने दूसरे देशों की सरकारों के साथ दोहरे कराधान की समस्या से निपटने के लिये समझौते किये हैं इन समझौतों को 'दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (DTAA)' कहा जाता है।

कर संधि (Tax Treaty)

- एक द्विपक्षीय कर समझौता (bilateral tax agreement), जिसे कर संधि भी कहा जाता है, दो अधिकार क्षेत्रों (उदाहरण के लिये, दो देशों) के बीच होने वाला एक समझौता है जो कराधान के मुद्दों के बारे में संघर्ष या दोहराव को संबोधित करता है।
- इस प्रकार के कर समझौते आमतौर पर दोहरे कराधान की समस्या के संदर्भ में अस्तित्व में लाए जाते हैं जब एक व्यक्ति या कंपनी एक से अधिक क्षेत्राधिकार में कार्य करती है। इसका कारण यह है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि दो देशों के बीच प्रवाहित आय (Income Flow) पर दो बार करारोपण हो जाए।
- इस समझौते के तहत कर संग्रह के लिये सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा आपसी सहयोग भी शामिल होता है।

प्रत्यक्ष वदिशी नविश (Foreign direct investment-FDI)

- यह एक समूह द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय या नगिम में स्थायी हितों को स्थापित करने के इरादे से किया गया नविश होता है।
- प्रत्यक्ष वदिशी नविश (Foreign Direct Investment - FDI) आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक और देश में आर्थिक विकास के लिये गैर-ऋण वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

भारत और संगिपुर के बीच समझौता

- संगिपुर और भारत के बीच DTAA (Avoidance of Double Taxation Agreement) को वर्ष 1994 में लागू किया गया था। इस समझौते के

प्रावधानों पर 29 जून, 2005 को एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर इन्हें संशोधित किया गया था।

- इसके दूसरे प्रोटोकॉल पर 24 जून, 2011 को हस्ताक्षर किये गए, जो 1 सितंबर, 2011 को लागू हुआ। इस समझौते से संगापुर और भारत के बीच आय के दोहरे कराधान को समाप्त किया गया तथा दोनों देशों के नविसयियों पर पड़ने वाले समग्र कर बोझ को कम किया गया।
- मौजूदा भारत-संगापुर DTAA में संशोधन करने वाला तीसरा प्रोटोकॉल 27 फरवरी, 2017 को लागू हुआ।
- तीसरा प्रोटोकॉल 1 अप्रैल, 2017 से लागू होने वाले DTAA को संशोधित करता है, ताकि कंपनी में शेयरों की बिक्री पर होने वाले पूंजीगत लाभ के स्रोत आधारित कराधान हेतु लाभ प्रदान किये जा सकें। यह राजस्व हानिपर अंकुश लगाता है, दोहरे गैर-कराधान को प्रतर्बिधित करता है और नविश के प्रवाह को सुव्यवस्थित करता है।
- इसके साथ यह उम्मीद की जा रही है कि अब भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चोरी के ज़रिये अवैध धन का दुरुपयोग करने में सक्षम नहीं होंगी।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/singapore-is-india-top-fdi-source>

